"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 623] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2021 — अग्रहायण 24, शक 1943

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 (अग्रहायण 24, 1943)

क्रमांक–11983/वि.स./विधान/2021. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) जो बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्र. 12 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) को और संशोधन करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलायेगा।

(2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करें :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

धारा 7 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये और 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :–

''(कक) किसी व्यक्ति, जो किसी व्यष्टि से भिन्न है, के द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्येन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहार;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अभिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक् व्यक्ति समझा जाएगा और क्रियाकलापों का प्रदाय या संव्यवहार, परस्पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया समझा जायेगा ।"

धारा 16 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(कक) खंड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे पूर्तिकार द्वारा बर्हिगामी पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किए गए हैं।"

धारा 35 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) का लोप किया जाए ।

धारा 44 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"**(44) वार्षिक विवरणी.**– किसी इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, इलेक्ट्रानिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति, जैसा कि विहित किया जाए, में संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक

वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य के साथ सुमेलित करते हुए, एक स्वप्रमाणित सुमेलन विवरण सम्मिलित किया जा सकेगा :

परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने से छूट प्रदान कर सकेगा :

परंतु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिनकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा, संपरीक्षा के अध्यधीन हैं, लागू नहीं होगी।"

धारा 50 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए और 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में और शोध्य तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, कर के उस भाग के लिए

संदेय होगा, जिसे इलेक्ट्रानिक नकद लेजर से विकलन करके संदत्त किया जाता है।"

धारा 74 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 74 के स्पष्टीकरण (1) के खंड (ii) में, शब्द एवं अंक "तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130 के" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "तो धारा 122 और धारा 125 के" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 75 का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 75 की उपधारा (12) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण :– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, शब्द "स्वनिर्धारित कर" में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसी बहिर्गामी पूर्तियों के ब्यौरों के संबंध में संदेय कर, शामिल होगा, किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में शामिल नहीं किया जायेगा।"

धारा 83 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(1) जहां अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय है कि सरकारी राजस्व के हित की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में, आदेश द्वारा, ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, धारा 122 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कराधेय व्यक्ति या किसी व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता भी है, को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।"

धारा 107 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) के खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"परंतु धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील तब तक प्रस्तुत नहीं की जाएगी, जब तक कि शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का, अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।"

धारा 129 का संशोधन.

11. मूल अधिनियम की धारा 129 में,–

(एक) उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है ;

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर का दो सौ प्रतिशत के संदाय पर, जो भी अधिक हो और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है ;"

(दो) उपधारा (2) का लोप किया जाये;

(तीन) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(3) माल या वाहनों को निरूद्ध या उनका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी, यथास्थिति, निरोध या अभिग्रहण किए जाने के सात दिन के भीतर संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात्, उपधारा (1) के खंड (क) या (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए ऐसी नोटिस की तामील की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।"

(चार) उपधारा (4) में, शब्द "ब्याज या शास्ति" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाये ;

(पांच) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी, उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) में यथा उपबंधित शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार निरूद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन, उपधारा (3) के अधीन शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने का दायी होगा :

परंतु परिवहनकर्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति के संदाय पर या एक लाख रूपये, इनमें से जो भी

कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन को निर्मुक्त किया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां निरूद्ध या अभिगृहीत किया गया माल, नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास होने की संभावना है, वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि, समुचित अधिकारी द्वारा, ऐसे समय के लिए, जो वह ठीक समझे, कम की जा सकेगी।"

धारा 130 का संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 130 में,–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई" के पूर्व, शब्द "जहां" अंतस्थापित किया जाये ;

(ख) उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में, शब्द, कोष्टक और अंक "धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम" के स्थान पर, शब्द "ऐसे माल पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाये ;

(ग) उपधारा (3) का लोप किया जाये।

धारा 151 का संशोधन.

13. मूल अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"**151. सूचना मांगने की शक्ति.–** आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के

संबंध में व्यवहृत किसी मामले के संबंध में, कोई सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा।"

धारा 152 का संशोधन.

14. मूल अधिनियम की धारा 152 में,–

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द "किसी व्यष्टि विवरणी या उसके भाग की" का लोप किया जाये ;

(दो) शब्द "ऐसी सूचना" के पश्चात्, शब्द "संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना" अंतःस्थापित किया जाये ;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाये।

अनुसूची 2 का संशोधन.

15. मूल अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 7 का लोप किया जाये और 1 जुलाई, 2017 से लोप किया गया समझा जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यतः छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) (जो इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण करने हेतु उपबंध करने के विचार से अधिनियमित किया गया था।

और यतः छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017), करदाताओं के लेखा पुस्तकों की संपरीक्षा विनिर्दिष्ट वृत्तिक से कराने संबंधी उपबंध करता है, परिणामस्वरूप करदाताओं विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्यमों को अतिरिक्त अनुपालन भार का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के विभिन्न उपबंधों में कतिपय विसंगतियां पाई गई है। साथ ही आगत कर प्रत्यय लिये जाने के प्रावधान को अधिक कठोर करने की आवश्यकता है ताकि गलत आगत कर प्रत्यय की उपलब्धता रोकी जा सके। उपर्युक्तानुसार यथावर्णित अनुपालन भार को कम करने, अधिनियम के प्रावधानों में विद्यमान विसंगतियों को दूर करने एवं आगत कर प्रत्यय से संबंधित प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिए अधिनियम को संशोधित किये जाने का प्रस्ताव है।

और यतः प्रस्तावित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध है, अर्थात् :–

(एक) विधेयक का खंड 2, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में एक नया खंड (कक) अंतःस्थापित करके 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने के लिए है, जिससे किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्ययेन को नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफलों के लिए माल या सेवाओं को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलापों या संव्यवहारों पर कर उद्ग्रहण को सुनिश्चित किया जा सके।

इसमें एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि व्यक्ति या इसके सदस्य या घटकों को दो पृथक व्यक्तियों के रूप में समझा जाएगा और परस्पर क्रियाकलापों या संव्यवहारों का प्रदाय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक करने के लिए समझा जाएगा।

(दो) विधेयक का खंड 3, अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में एक नया खंड (कक) अंतःस्थापित करके संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बीजकों या नामे नोटों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का फायदा केवल उस समय लिया जा सकेगा, जब ऐसे बीजकों या नामे नोटों के ब्यौरों को पूर्तिकार द्वारा बहिर्गामी पूर्तियों के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित कर दिए गए हैं।

(तीन) विधेयक का खंड 4, अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) का लोप करने के लिए हैं जिससे कि वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा कराने और विनिर्दिष्ट वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत सुमेलन विवरण की अनिवार्य अपेक्षा को समाप्त किया जा सके।

(चार) विधेयक का खंड 5, अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि विनिर्दिष्ट वृत्तिक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित सुमेलन विवरण को प्रस्तुत करने की अनिवार्य अपेक्षा को समाप्त किया जा सके और स्वप्रमाणन के आधार पर वार्षिक विवरणी फाइल करने का उपबंध किया जा सके। खंड आयुक्त को वार्षिक विवरणी फाइल करने की अपेक्षा से करदाताओं के वर्ग को छूट प्रदान करने के लिए भी सशक्त करता है।

(पांच) विधेयक का खंड 6, अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के परंतुक को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे भूतलक्षी रूप से 1 जुलाई, 2017 से शुद्ध नकद दायित्व पर ब्याज प्रभारित किया जा सके।

(छः) विधेयक का खंड 7, अधिनियम की धारा 74 का संशोधन करने के लिए हैं जिससे प्रवहण के अभिग्रहण और उनकी जब्ती को कर की वसूली से पृथक् कार्यवाही बनाई सके।

(सात) विधेयक का खंड 8, अधिनियम की धारा 75 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह स्पष्ट करने के लिए उपधारा (12) में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके कि "स्वनिर्धारित कर" के अंतर्गत धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसी बहिर्गामी पूर्तियों के ब्यौरों की बाबत् संदेय कर सम्मिलित होगा किंतु इसके अंतर्गत धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में यह सम्मिलित नहीं होगा।

(आठ) विधेयक का खंड 9, अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (1) प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनंतिम कुर्की अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के प्रारंभ से आरंभ होने वाली संपूर्ण अवधि से तद्धीन किए गए आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक विधिमान्य बनी रहेगी।

(नौ) विधेयक का खंड 10, अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेश के विरूद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक कि पच्चीस प्रतिशत शास्ति के बराबर राशि का अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।

(दस) विधेयक का खंड 11, अधिनियम की धारा 129 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि अभिवहन में माल और प्रवहण के निरूद्ध किए जाने, अभिग्रहण और निर्मुक्त किए जाने से संबंधित उस धारा के अधीन

कार्यवाहियों को माल या प्रवहणों की जब्ती और शास्ति के उद्ग्रहण से संबंधित धारा 130 के अधीन कार्यवाहियों से असंबद्ध किया जा सके।

(ग्यारह) विधेयक का खंड 12, अधिनियम की धारा 130 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि अभिवहन में माल और प्रवहण के निरूद्ध किए जाने, अभिग्रहण और उनकी निमुक्ति से संबंधित धारा 129 के अधीन कार्यवाहियों से माल या प्रवहण की जब्ती और शास्ति के उद्ग्रहण से संबंधित उस धारा के अधीन कार्यवाहियों को असंबद्ध किया जा सके।

(बारह) विधेयक का खंड 13, अधिनियम की धारा 151 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे आयुक्त द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के संबंध में कार्रवाई करने के लिए किन्हीं विषयों से संबंधित किसी व्यक्ति से सूचना मांगने के लिए सशक्त किया जा सके।

(तेरह) विधेयक का खंड 14, अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 150 और धारा 151 के अधीन अभिप्राप्त की गई सूचना संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं की जाएगी।

(चौदह) विधेयक का खंड 15, अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 7 का, 1 जुलाई, 2017 से धारा 7 में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप लोप करने के लिए है।

अतएव, विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

टी.एस. सिंहदेव,
वाणिज्यिक कर (जी एस टी) मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,
दिनांक 8 दिसम्बर, 2021

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 के खंड–2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 में विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन की संस्थापनाएं हैं, जो सामान्य स्वरूप की हैं।

"संविधान के अनुच्छेद 207 (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) से उद्धरण

अध्याय 3
कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

प्रदाय की परिधि.

7. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, शब्द "प्रदाय" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,–

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अंतरण, वस्तु–विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन जैसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के सभी प्ररूप ;

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वह कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं ; और

(ग) किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप ;

(1क) जहां कतिपय कार्यकलाप या संव्यवहार, उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार कोई प्रदाय है, उन्हें अनुसूची 2 में यथा निर्दिष्ट माल का प्रदाय या सेवा का प्रदाय माना जाएगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,––

(क) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, या

(ख) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, जिसमें वे लोक प्राधिकारियों, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, के रूप में संलग्नरत है;

न तो माल के प्रदाय के रूप में और न ही सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जाएगा।

(3) उप–धारा (1), (1क) और (2) के उपबंधो के अधीन रहते हुए, सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें,––

(क) माल के प्रदाय के रूप में, न कि सेवाओं के प्रदाय के रूप में ; या

(ख) सेवाओं के प्रदाय के रूप में, न कि माल के प्रदाय के रूप में, माना जाएगा।

* * * * * *

अध्याय 5
इनपुट कर प्रत्यय

इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें

16. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी निबंधनों और शर्तो के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, और धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति से, उसको किए गए ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जिसका उसके कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है और उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको किए गए किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,––

(क) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता द्वारा जारी कोई कर बीजक या नाम नोट (डेबिट नोट) या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो ;

(ख) वह माल या सेवाओं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है।

स्पष्टीकरण– इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, माल या सेवा को प्राप्त किया है–

(एक) जहां माल का प्रदाय किसी प्रदायकर्ता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निर्देश पर किया गया है, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा, माल के संचलन से पूर्व या दौरान, माल के मालिकाना दस्तावेजों के अंतरण के माध्यम से या अन्यथा कार्य कर रहा हो,

(दो) जहां सेवा का प्रदाय, प्रदायकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निर्देश पर और उसके मद्दे किया जाता है।

(ग) धारा 41 या धारा 43क के उपंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रदाय के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त प्रदाय के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया गया हो ; और

(घ) उसने धारा 39 के अधीन विवरणी न दी हो ;

परंतु जहां माल किसी बीजक के विरूद्ध, लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लाट या किश्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसे प्रदायों से भिन्न, जिन पर विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को प्रदाय के मूल्य के साथ उस पर

संदेय कर के मद्दे रकम का, प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर संदाय करने मे असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम को, उस पर ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का उसके द्वारा किए गए संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने आय–कर अधिनियम, 1961 के उपबंधो के अधीन पूंजी माल और संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के कर संघटक पर अवक्षयण का दावा किया है, वहां उक्त कर संघटक पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट संबंधित है, अंत के अगले सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिये जाने की देय तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा।

* * * * * *

अध्याय 8
लेखे और अभिलेख

लेखे और अन्य अभिलेख

35. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में यथावर्णित अपने कारबार के मूल स्थान पर,––

(क) माल के उत्पादन और विनिर्माण ;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों की आवक या जावक पूर्ति ;

(ग) माल का स्टाक ;

(घ) प्राप्त किया गया इनपुट कर प्रत्यय ;

(ङ) संदेय और संदत्त आउटपुट कर ; और

(च) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं,

की सत्य और शुद्ध लेखे रखेगा और अनुरक्षित करेगा :

परंतु जहां रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में एक से अधिक कारबार का स्थान विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां कारबार के प्रत्येक स्थान से संबंधित लेखे कारबार के ऐसे स्थानों में रखे जाएंगे :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे लेखे और अन्य विशिष्टियां, इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रख सकेगा और अनुरक्षित कर सकेगा।

(2) भांडागार या गोदाम या माल के भंडारण के लिए प्रयुक्त किसी अन्य स्थान का प्रत्येक स्वामी या ऑपरेटर और प्रत्येक वाहक, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है या नहीं, परेषक, परेषिती और ऐसे माल के अन्य सुसंगत ब्यौरे जो विहित किए जाएं, के अभिलेख रखेगा।

(3) आयुक्त ऐसे प्रयोजन के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं के अतिरिक्त लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित करने के लिए कर योग्य व्यक्तियों का वर्ग अधिसूचित कर सकेगा।

(4) जहां आयुक्त समझता है कि कर योग्य व्यक्तियों का कोई वर्ग इस धारा के उपबंधों के अनुसार लेखे रखने और अनुरक्षित करने की दशा में नहीं है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करते हुए कर योग्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को लेखों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक होता है, अपने लेखे किसी चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति, धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए ;

परंतु इस उप–धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को लागू नहीं होगी, जिसकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अध्यधीन है।

(6) धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (ज) के उपबंधों के अध्यधीन जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में विफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी माल या सेवाओं या दोनों पर संदेय कर की रकम, जिसका लेखा नहीं दिया गया है, अवधारित करेगा, मानों ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की ऐसी व्यक्ति द्वारा पूर्ति की गई थी और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

* * * * * *

अध्याय 9
विवरणियां

वार्षिक विवरणी.

44. (1) इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिकी रूप से ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के पश्चात् 31 दिसंबर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय–सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त के द्वारा अधिसूचित समय–सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 35 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार उसके लेखाओं की संपरीक्षा करवाने की अपेक्षा है, वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षित प्रति और एक समाधान विवरण के साथ वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरण में घोषित प्रदायों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए और ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाए, के साथ इलैक्ट्रानिकी रूप में उपधारा (1) के अधीन एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

* * * * * *

अध्याय 10
कर संदाय

विलंबित कर संदाय पर ब्याज

50. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किंतु सरकार को विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं, ऐसी दर पर ब्याज का, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, संदाय करेगा।

परंतु किसी कर अवधि के दौरान की गई प्रदायों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्गृहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से राशि को निकाल कर किया गया है।

(2) उपधारा (1) के अधीन ब्याज की संगणना उस दिन, जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिए शोध्य था, के उत्तरवर्ती दिन से ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।

(3) कोई कराधेय व्यक्ति, जो धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का असम्यक् या आधिक्य का दावा करता है या धारा 43 की उपधारा (10) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में असम्यक् या आधिक्य कटौती का दावा करता है, तो वह, यथास्थिति, ऐसे असम्यक् या आधिक्य दावे या ऐसी असम्यक् या आधिक्य कटौती पर सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनाधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा।

* * * * * *

अध्याय 15
मांग और वसूली

कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रदाय या गलती से लिए गए या उपयोग किये गए इनपुट कर प्रत्यय का निर्धारण।

74. (1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलति से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलति से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शन करने के लिए सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उदग्रहणीय शास्ति का संदाय करे।

(2) समुचित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन सूचना, आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय–सीमा से कम से कम छः मास पूर्व जारी करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है तो समुचित अधिकारी संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न के लिए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील को धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील इस शर्त के अधीन समझा जाएगा कि उक्त विवरण में अवलंब लिए गए आधार, सिवाय कपट के आधार के या उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न कर अपवंचन के लिए किसी जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के लिए अवलंब लिए गए आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का संदाय करेगा और कर के स्व–निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर ऐसे कर की रकम के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा।

(6) समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार किसी संदत्त कर या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय किसी शास्ति के संबंध में सूचना की तामील नहीं करेगा।

(7) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा।

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति, धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा।

(9) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर की रकम, ब्याज और शास्ति का अवधारण करेगा और आदेश जारी करेगा।

(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख से पांच वर्ष के भीतर जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया है या गलत उपयोग किया गया है, से त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा।

(11) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (9) के अधीन आदेश की तामील की गई है, धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ कर और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 1– धारा 73 एंव इस धारा के प्रयोजनों के लिए,––

(i) शब्द "उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी ;

(ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और ऐसी कार्यवाहियों को धारा 73 या धारा 74 के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरूद्ध पूरा कर लिया गया है तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2– इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, शब्द "छिपाना" से अभिप्रेत होगा ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिससे कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों को अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता।

कर अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध.

75. (1) जहां किसी सूचना की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से विवर्जित किया जाएगा।

(2) जहां कोई अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष

है कि धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन इस कारण से भरणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरूद्ध साबित नहीं होता है जिसको सूचना जारी की गई थी, तो समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह मानते हुए अवधारण करेगा मानों कि धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई थी।

(3) जहां अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में किसी आदेश को जारी करने की अपेक्षा है तो ऐसा आदेश उक्त निदेश की संसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा।

(4) सुनवाई के अवसर को वहां अनुदत्त किया जाएगा जहां कर या शास्ति से प्रभार्य व्यक्ति का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है या जहां ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिकूल विनिश्चय की प्रत्याशा है।

(5) समुचित अधिकारी, यदि कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारण उपदर्शित किया जाता है, तो उक्त व्यक्ति को समय अनुदत्त करेगा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए सुनवाई को स्थगित कर देगा :

परंतु ऐसा कोई स्थगन, कार्यवाहियों के दौरान किसी व्यक्ति को तीन बार से अधिक अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

(6) समुचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चय के लिए सुसंगत तथ्यों का अधिकथन करेगा।

(7) आदेश में मांग किए गए कर, ब्याज और शास्ति की रकम सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी और सूचना में विनिर्दिष्ट आधारों के किसी अन्य आधार पर किसी मांग की पुष्टि नहीं की जाएगी।

(8) जहां अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय, समुचित अधिकारी द्वारा अवधारित कर की रकम को उपांतरित करता है तो ब्याज और शास्ति की रकम भी इस प्रकार उपांतरित कर की रकम को गणना में लेते हुए तदनुसार उपांतरित हो जाएगी।

(9) कम संदत्त किए गए या संदत्त नहीं किए गए कर पर ब्याज संदेय होगा चाहे कर दायित्व का अवधारण करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं।

(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा यदि धारा 73 की उपधारा (10) में यथाउपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उपधारा (10) में यथाउपबंधित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है।

(11) कोई विवादक, जिस पर अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय लिया गया है जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील प्राधिकारी और अपील प्राधिकरण के विनिश्चय की तारीख के बीच की कालावधि या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने में वहां विवर्जित किया जाएगा जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन हेतुक

उपदर्शित करने की सूचना जारी करने के माध्यम से संस्थित की गई है।

(12) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्व–निर्धारित कर की कोई रकम पूर्णतः या भागतः असंदत्त रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम असंदत्त रहती है तो उसकी धारा 79 के उपबंधों के अधीन वसूली की जाएगी।

(13) जहां धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है तो उसे कृत्य या लोप पर किसी शास्ती को उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की

83. (1) जहां धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 67 या धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लंबन के दौरान आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा अनंतिम रूप से ऐसे कराधेय व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता है, की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा।

* * * * * *

अध्याय 18
अपील और पुनरीक्षण

अपीलीय प्राधिकारी की अपीलें.

107. (1) इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे अपीलीय प्राधिकारी, जो की विहित की जाए, उस तारीख से, जिस पर ऐसे व्यक्ति को उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर, अपील कर सकेगा।

(2) आयुक्त उक्त विनिश्चय या आदेश की वैधानिकता या औचित्य के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या केंद्रीय कर के आयुक्त के निवेदन पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा और परीक्षण कर सकेगा जिसमें किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है तथा आदेश द्वारा ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए जो उक्त विनिश्चय या आदेश से उदभूत होते हैं, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छः मास के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को किसी अधीनस्थ अधिकारी को आवेदन करने के लिए निदेश दे सकेगा जैसा आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) जहां उपधारा (2) अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन करता है, वहां ऐसा आवेदन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यवहार किया जाएगा मानो यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश के विरूद्ध की गई अपील हो और ऐसा प्राधिकृत अधिकारी कोई अपीलकर्ता हो तथा इस अधिनियम के अपील से संबंधित उपबंध ऐसे आवेदन को लागू होंगे।

(4) अपीलीय प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता, यथास्थिति, तीन या छः मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील करने से

पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था, तो वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनुज्ञात करेगा।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी जो विहित किया जाए।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता ने निम्नलिखित संदाय नहीं किया हैं –

(क) अक्षेपित आदेश से उदभूत कोई कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति की राशि का ऐसा भाग, पूर्णतः, जैसा उसके द्वारा स्वीकारा गया है ; और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उदभूत विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि। ,अधिकतम पच्चीस करोड़ रूपये के अध्यधीन रहते हुए

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन अपीलकर्ता ने रकम का संदाय कर दिया है, वहां बकाया रकम के लिए वसूली कार्यवाहियां स्थगित समझी जाएंगी।

(8) अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा।

(9) अपीलीय प्राधिकारी, यदि उसे अपील सुनवाई की किसी अवस्था पर पर्याप्त कारण दर्शित किया जाए तो पक्षकारों को या उनमें से किसी एक को समय देगा और लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की सुनवाई को स्थगित रखेगा :

परन्तु यह कि ऐसा कोई स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन से अधिक समय नहीं दिया जाएगा।

(10) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता को अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए अपील के किसी आधार को जोड़ना अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपील के आधारों से उस आधार का लोप जानबूझकर या अयुक्तियुक्त नहीं था।

(11) अपीलीय प्राधिकारी ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, उसे संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करने वाला विनिश्चय का आदेश करेगा जो वह उचित समझे, किन्तु उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मामला पुनःनिर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसा विनिश्चय या आदेश पारित किया था :

परन्तु अधिहरण या वर्जित मूल्य के माल का अधिहरण के बदले में कोई फीस या शास्ति या जुर्माना बढ़ाने वाला अथवा प्रतिदाय की रकम या आगत कर प्रत्यय घटाने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि अपीलीय अधिकरण की जहां यह राय है कि कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां आगत कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या आगत कर प्रत्यय के संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस

नहीं दिया गया है और धारा 73 या धारा 74 के अधीन विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर आदेश पारित किया जाता है।

(12) अपील निपटारा करने वाला अपीलीय प्राधिकारी का आदेश लिखित में होगा और अवधारण के बिन्दुओं, उन पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारणों का कथन करेगा।

(13) अपील प्राधिकरण, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील को उसे फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष के अवधि के भीतर सुनवाई और विनिश्चय करेगा :

परन्तु जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि एक वर्ष की अवधि की गणना करने में अपवर्जित की जाएगी।

(14) अपील के निपटारे पर अपील प्राधिकरण उसके द्वारा पारित आदेश को अपीलकर्ता, प्रतिवादी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संसूचित करेगा।

(15) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति अधिकारिता आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को और केंद्रीय कर अधिकारिता आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी।

(16) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश धारा 108 या धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा।

* * * * * *

अध्याय 19
अपराध और शास्तियां

अभिरक्षा, अभिग्रहण और माल की निर्मुक्ति तथा अभिवहन में प्रवहण.

129. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति किसी माल का परिवहन या माल का भंडारण करता है जब वे इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में अभिवहन करते हैं, सभी माल और अभिवहन में उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त साधन और ऐसे माल तथा अभिवहन से सम्बंधित दस्तावेजों को अभिरक्षा या अभिग्रहण में लेने के लिए दायी होगा तथा अभिरक्षा या अभिग्रहण के पश्चात निम्नानुसार निर्मुक्त किया जाएगा –

(क) ऐसे माल पर लागू कर के और संदेय कर के 100 प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रूपए जो कम हो, के संदाय पर जहां माल का मालिक ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है ;

(ख) लागू कर के और उस पर संदत्त कर रकम द्वारा कम करके माल के मूल्य का 50 प्रतिशत के बराबर शास्ति और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रूपए जो कम हो, के संदाय पर जहां माल का मालिक ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है ;

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति जो विहित की जाएं, में खंड (क) या खंड (ख) के

अधीन संदेय रकम के समतुल्य प्रतिभूति को देने पर :

परंतु यह कि इस प्रकार का माल या अभिवहन माल का परिवहन करने के लिए व्यक्ति पर अभिरक्षा या अभिग्रहण के आदेश के तामील कराए बिना अभिरक्षा में या अभिग्रहण में नहीं लिया जाएगा।

(2) धारा 67 की उपधारा (6) के उपबंध, माल एवं प्रवहन की अभिरक्षा और अभिग्रहण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(3) माल एवं प्रवहन की अभिरक्षा या अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी कर और संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात् खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन संदेय कर और शास्ति के लिए एक आदेश पारित करेगा।

(4) बिना संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए ब्याज या शास्ति उपधारा (3) के अधीन अवधारित नहीं की जाएगी।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम के संदाय पर उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट नोटिस की बाबत सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी।

(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी उपधारा (1) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की रकम का संदाय करने में ऐसी अभिरक्षा या अभिग्रहण के चौदह दिन में असफल रहता है तो अन्य कार्यवाहियां धारा 130 की शर्तों के अनुसार आरंभ की जाएगी :

परंतु यह कि जहां अभिरक्षा या अभिग्रहण का माल शीघ्र नष्ट होने योग्य या खतरनाक या समय के साथ मूल्य में ह्रास की प्रकृति का है तो उक्त चौदह दिन की अवधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी।

माल एवं प्रवहन की जब्ती और शास्ति का उद्ग्रहण.

130. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति–

(i) इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन निर्मित नियमों के किसी उल्लंघन में माल का प्रदाय या प्राप्ति कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता है; या

(ii) किसी माल के लिए लेखा नहीं रखता है जिस पर वह उस अधिनियम के अधीन कर संदाय के लिए दायी है; या

(iii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए बिना इस अधिनियम के अधीन कर योग्य किसी माल का प्रदाय; या

(iv) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या इसके अधीन बने नियमों का उल्लंघन कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता है; या

(v) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में माल को ढोने के लिए परिवहन के रूप में किसी प्रवहण का प्रयोग करता है जब तक कि प्रवहण का मालिक यह सिद्ध न कर दे कि उसका या उसके ऐजेंट की बिना जानकारी या गठजोड़ के यह कार्य हुआ है,

तब ऐसा सभी माल या प्रवहण जब्ती के लिए दायी होगा और वह व्यक्ति धारा 122 के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) जब कभी किसी माल या प्रवहण की जब्ती इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है तो उसको न्यायनिर्णयन करने वाला अधिकारी माल के स्वामी को जब्त माल

के स्थान पर ऐसा जुर्माना जो उक्त अधिकारी ठीक समझे, संदाय करने का विकल्प दे सकेगा :

परंतु यह कि ऐसा उद्ग्रहणीय जुर्माना जब्त माल के बाज़ार मूल्य से अधिक तथा उस पर प्रभारित कर से कमनहीं होगा :

परंतु यह और कि ऐसा जुर्माना और उद्ग्रहणीय शास्ति धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम से कम नहीं होगा :

परंतु यह भी कि जहां माल को ढोने या भाड़े पर यात्रियों को ढोने में प्रयुक्त कोई ऐसा प्रवहण या मालिक को जब्त प्रवहण के स्थान पर उसमें परिवहन किए माल पर संदेय कर के बराबर जुर्माना संदेय करने का विकल्प किया जा सकेगा।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित माल या प्रवहण की जब्ती के स्थान पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे माल का स्वामी या प्रवहण या व्यक्ति इसके अतिरिक्त किसी ऐसे माल का प्रवहण की बाबत शास्ति और शोध्य प्रभारों के लिए दायी होगा।

(4) माल या प्रवहण की जब्ती या शास्ति का अधिरोपण का आदेश उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं जारी किया जाएगा।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी माल या प्रवहण को जब्त कर लिया गया है वहां ऐसे माल या प्रवहण का स्वामित्व सरकार में निहित हो जाएगा।

(6) जब्ती के न्यायनिर्णयन का समुचित अधिकारी जब्त वस्तुओं का कब्जा लेगा और धारण करेगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी ऐसे समुचित अधिकारी की अपेक्षा पर ऐसा कब्जा लेने और धारण करने में उसको सहयोग करेगा।

(7) समुचित अधिकारी स्वयं के समाधान केपश्चात्कि जब्त माल या प्रवहण इस अधिनियम की धारा के अधीन किसी अन्य कार्यवाहियों में अपेक्षित नहीं है और जब्ती के स्थान पर जुर्माना देने के लिए तीन मास से अनधिक युक्ति युक्त समय देनेके पश्चात् ऐसे माल या प्रवहण का निस्तारण करेगा और उसके विक्रय उत्पाद सरकार को जमा करेगा।

* * * * * *

अध्याय 21
प्रकीर्ण

आंकड़े संग्रहण करने की शक्ति.

151. (1) आयुक्त, यदि यह विचार करता है कि इसे किया जाना आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के संबंध में या उससे संबंधित किसी मामले से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करने को निदेश दे सकेगा।

(2) ऐसी अधिसूचना जारी होने पर, आयुक्त या इस हेतु उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, यथा विहित, ऐसे प्ररूप और रीति में उन आंकड़ो के संग्रहण से संबंधित किसी मामले के संबंध में, ऐसी सूचना या विवरणी देने के लिए संबंधित व्यक्ति को बुला सकेगा।

सूचना के प्रकटन पर वर्जन.

152. (1) धारा 150 या धारा 151 के प्रयोजनों के लिए दी गई किसी भी बात के संबंध में किसी व्यष्टि विवरणी या उसके भाग की सूचना, संबंधित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधी की लिखित सहमति के बिना ऐसी रीति से प्रकाशित नहीं की जाएगी जिससे यह पहचान हो सके कि ऐसा विवरण किसी व्यक्ति विशेष

से संबंधित है और ऐसी सूचना इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजन को छोड़कर, कोई व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अधीन आंकड़ों के संग्रहण में या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उसके संकलन या कम्प्यूटरीकरण में नहीं लगा हुआ है, को, धारा 151 में निर्दिष्ट कोई सूचना या कोई व्यष्टि विवरणी को देखने या उस तक पहुंच की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) इस धारा की किसी बात का कराधेय व्यक्ति के किसी वर्ग या संव्यवहार वर्ग से संबंधित कोई सूचना के प्रकाशन पर लागू नहीं होगा, यदि आयुक्त की राय में ऐसी सूचना का प्रकाशन लोकहित में वांछनीय है।

* * * * * *

अनुसूची 2

[धारा 7 देखें]

क्रियाकलापों या संव्यवहारों को माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जाए

1. अंतरण––

(क) माल में हक का कोई अंतरण, माल का प्रदाय है ;

(ख) उसके हक के अंतरण के बिना, माल में अधिकार या माल में अविभाजित हिस्से का कोई अंतरण, सेवा का प्रदाय है ;

(ग) कोई अनुबंध जिसके अधीन यह नियत है कि भविष्य की किसी तारीख को, जैसे कि सहमति है, पूर्ण प्रतिफल के संदाय पर माल में हक का कोई अंतरण होगा, माल का प्रदाय है।

2. भूमि और भवन ––

(क) कोई पट्टा अभिधृति, सुखाचार, भूमि को कब्जा करने की अनुज्ञप्ति, सेवाओं का प्रदाय है ;

(ख) भवन जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक, औद्योगिक या आवासीय प्रेक्षत्र सम्मिलित है, को कारबार या वाणिज्य के लिए पूर्णतः या अंशतः कोई पट्टा या किराए पर देना, सेवाओं का प्रदाय है।

3. व्यवहार या प्रक्रिया––

कोई व्यवहार या प्रक्रिया जो अन्य व्यक्ति के माल पर लागू की जाती है, सेवाओं का प्रदाय है।

4. कारबार आस्तियों का अंतरण––

(क) जहां माल जो कारबार की संपत्ति का भाग है, को व्यक्ति जो कारबार चला रहा है के निदेशों के अधीन या द्वारा अंतरित या व्ययनित किया जा रहा है जिससे कि वह उन आस्तियों का और हिस्सा न रहें; भले ही प्रतिफल के बदले हो या नहीं, ऐसा अंतरण या व्ययन, व्यक्ति द्वारा माल का प्रदाय है;

(ख) जहां, व्यक्ति जो कारबार चला रहा है के निदेश के अधीन, माल जो कारबार के प्रयोजन के लिए रखा या उपयोग किया गया है,

को कारबार के प्रयोजन के अतिरिक्त किसी निजी उपयोग में लाने के लिए रखा गया या उपयोग कर लिया गया या किसी व्यक्ति को उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया, भले ही प्रतिफल के बदले हो या नहीं, ऐसे माल का उपयोग करना या उपलब्धता करवाना, सेवा का प्रदाय है;

(ग) जहां कोई व्यक्ति कराधेय व्यक्ति नहीं रह जाता है, कोई माल जो उसके द्वारा चलाए गए कारबार की आस्तियों का हिस्सा है, उसके कराधेय व्यक्ति के रूप में नहीं रहने से तुरंत पूर्व उसके कारबार के अनुक्रम या अग्रसर में उसके द्वारा प्रदाय किया गया समझा जाएगा, जब तक कि:–

(i) अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में कारबार का अंतरण नहीं होता; या

(ii) कारबार वैयक्तिक प्रतिनिधि द्वारा नहीं चलाया जाता है जिसे कराधेय व्यक्ति समझा जाएगा।

5. सेवाओं का प्रदाय ––

निम्नलिखित को सेवा के प्रदाय के रूप में माना जाएगा, अर्थात्:––

(क) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना ;

(ख) जहां अपेक्षित हो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र के जारी होने के पश्चात् जहां पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो गया है, या इसका प्रथम कब्जा मिलने के पश्चात; जो भी पहले हो, के सिवाय प्रक्षेत्र का संनिर्माण, भवन, सिविल संरचना या उसको कोई भाग, जिसके अंतर्गत क्रेता को विक्रय के लिए आशयित पूर्णतः या अंशतः प्रक्षेत्र या भवन सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण––इस खंड के प्रयोजन के लिए––

(1) अभिव्यक्ति "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है सरकार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई प्राधिकारी और ऐसे प्राधिकारी की ओर से ऐसा प्रमाणपत्र गैर अपेक्षित होने की दशा में, निम्नलिखित किन्हीं में से, अर्थात्:–

(i) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन गठित वास्तुविद् परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई वास्तुविद् ; या

(ii) इंजिनियरी संस्थान (भारत) के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई चार्टर्ड इंजिनियर ; या

(iii) संबंधित शहर का स्थानीय निकाय या कस्बा या गांव या विकास या योजना प्राधिकरण का कोई अनुज्ञप्त सर्वेक्षक ;

(2) अभिव्यक्ति "सन्निर्माण" के अंतर्गत किसी विद्यमान सिविल संरचना में अतिरिक्त निर्माण परिवर्तन, प्रतिस्थापन या पुनः प्रतिरूपण सम्मिलित है;

(ग) किसी बौद्धिक संपत्ति अधिकार के उपयोग या उपभोग की

अनुमति देना या अस्थाई अंतरण करना ;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, अनुकूलन, उन्नति, वृद्धि, क्रियान्वयन ;

(ङ) किसी कार्य से विरत होने की बाध्यता को मंजूरी देना या किसी कार्य या किसी स्थिति को सहन करना या किसी कार्य को करना ;

और

(च) किसी भी प्रयोजन हेतु (किसी विनिर्दिष्ट अविधि के लिए या नहीं) नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल को उपयोग करने के अधिकार का अंतरण।

6. संयुक्त प्रदाय––

निम्नलिखित संयुक्त प्रदायों को सेवाओं का प्रदाय माना जाएगा, अर्थात्:–

(क) धारा 2 के खंड (119) में यथा परिभाषित कार्य संविदा ; और

(ख) किसी सेवा के द्वारा या हिस्से के रूप में या किसी अन्य रीति में जो भी हो, माल जो खाद्य पदार्थ हैं या मानव उपभोग के लिए अन्य चीजे या कोई पेय (मानव उपयोग हेतु शराब द्रवण के अतिरिक्त) जहां ऐसा प्रदाय या सेवा नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए होता है, का प्रदाय।

7. माल का प्रदाय ––

निम्नलिखित को माल के प्रदाय के रूप में माना जाएगा, अर्थात् :–

किसी अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का प्रदाय।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2021.